

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

.....~~कन्हैयालाल~~ बनाम.....~~रमेश~~किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर.....~~105~~ 2023

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

13<sup>6</sup>/<sub>2023</sub>

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती ~~कन्हैयालाल~~ पिता ~~पूनालाल दर्जी~~  
~~राजकुमार - विष्णु कुमा - गीता बाई - बदाम बाई~~  
 पिता श्री ~~कन्हैयालाल दर्जी~~

निवासी- ~~गिण्ड~~ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम .....  
~~गिण्ड~~ स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर.....~~3062 रकबा 0.2800~~  
~~2874, 3027, 4334/619, 4335/620, 4336/1458, 617 कीता 6 रकबा~~  
~~1.6400, 1459 रकबा 0.07, 3033, 622/3198 कीता 2 रकबा 0.08~~  
 कुल कीता .....~~10~~..... कुल रकबा ~~2.0700~~ है0 की पत्थरगढी  
 कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज  
 रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम ~~गिण्ड~~ स्थित खातेदारी की भूमि आराजी  
 नम्बर ~~3062 रकबा 0.2800, 2874, 3027, 4334/619, 4335/620~~  
~~4336/1458, 617 कीता 6 रकबा 1.6400, 1459 रकबा 0.0700,~~  
~~3033, 622/3198 कीता 2 रकबा 0.0800~~  
 कुल कीता .....~~10~~..... रकबा ~~2.0700~~ है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी  
 किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का  
 खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क ~~1500.00~~ रुपये अक्षरे ~~एक हजार पचास~~ प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर  
 पेश हो।

(रामचन्द्र खटीक)

सहायक कलेक्टर एवं  
 उपखण्ड अधिकारी  
 चित्तौड़गढ़

